प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

आवंटन,
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
सहारनपुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बाराबंकी, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा, अम्बेडकर नगर, गौतमबुद्ध नगर, बलरामपुर, कौशाम्बी, बागपत, कासगंज, अमेठी तथा शामली।

संख्या– 1/375/2021–1/06/2021: लखनऊः दिनांकः 18 फरवरी, 2022

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में सफाई कर्मचारियों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–28/2021/791/33–3–2021–791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–14 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **रू0–30,12,11,484/–(रू0 तीस करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार चार सौ चौरासी मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2021/बी–1–375/दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाषीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–14–पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12.नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13.बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

14.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

15.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

15.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।

16.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2021–22 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसे दिनांक 10.03.2022 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–105 पर अंकित है।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/375/1/2021 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-28/02/2022

प्रेषण संख्या:- 1-375-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 009-1-06-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
14 -
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	49408134 392919536	15012393 93572622	0 1379121	0 17665891	64420527 505537170
2	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5082918 124631608	2145864 32538416	437162 874324	1006693 6606542	8672637 164650890
3	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	11065115 572026977	14156847 146562452	0 2076005	0 26592637	25221962 747258071
4	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1500000 314219428	500000 86477316	0 1087493	50000 13980270	2050000 415764507
5	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21556263 584861239	15470540 148582599	0 2050020	0 26259783	37026803 761753641
6	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 237378248	11110216 62969214	0 769491	0 9856816	11110216 310973769
7	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9666786 83440062	3396771 20550199	0 294765	0 3813402	13063557 108098428
8	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1175131 95360202	1063520 24325666	0 271653	0 3479756	2238651 123437277
9	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1359731 77469583	6368 17539583	0 287324	0 3680491	1366099 98976981
10	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	44086379 448610599	18724658 115843983	0 1567336	7612127 27688964	70423164 593710882
11	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2233355 71545235	1525809 18900019	0 255415	0 3271753	3759164 93972422
12	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2883812 261221340	17538570 81043467	0 882895	0 11309474	20422382 354457176
13	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 85752624	1529802 22079667	0 324380	0 4155154	1529802 112311825
14	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6900000 80081624	3800000 20934422	10000 295565	0 3657953	10710000 104969564
15	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	856130 68842072	1951979 17464692	0 244298	0 3129351	2808109 89680413
16	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	18063560 160640346	5523364 39093549	0 1011024	0 8881336	23586924 209626255
17	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1923617 46719026	877870 11655790	0 154769	0 1982529	2801487 60512114

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	योग
	योग	वर्तमान प्रगामी	177760931 3705719749	114334571 960133656	447162 13825878	8668820 176012102	301211484 4855691385

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार चार सौ चौरासी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब पंचासी करोड़ छप्पन लाख इकानवे हजार तीन सौ पंचासी

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी